RCNS 2019/00/48

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

केसराराम बनाम निकुराम आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट अपील संख्या 20 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
28.06.2019	वकील अपीलांट्स द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 14.09.2015 व 10.09.2015 के विरूद्ध पेश की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की स्थगन प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रा.पत्र पर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी के मामाओं जोकि रेस्पों. सख्या 1 ता 3 ने भूमि आवंटन करवा ली। प्रकरण बालिग पुत्र आवंटन से सम्बन्धित था। इसलिए उसकी माता एवं मौसीयों का भी हक बनता है। प्रार्थी के तीन मामा, दो मौसी एवं एक माँ इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलांट की माँ का 1/6 हिस्सा भूमि में से अपीलांट का 1/5 हिस्सा बनता है। अपीलांट के मामा उसे ऐलानिया धमकी दे रहे हैं कि वे उक्त भूमि किसी अन्य को अन्तरण कर देगे। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी जावे व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति रखी जावे एवं रेस्पों. भूमि को रहन, बैय, अन्य तरीके से मुन्तकिल करने से बाज एवं ममनू रहे का आदेश फरमावे। विद्वान अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में Notification No. F.4(15)Col/92 jaipur dated 01-09-1995 G.S.R. 62 के बिन्दु सं. 3 Amendment of Rule 4 की फोटो कॉपी पेश की। स्थगन प्रा.पत्र पर वकील अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। (1) पत्रावली में संलग्न अधी. न्यायालय के निर्णय की छाया	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

प्रति से स्पष्ट है कि प्रकरण बालिग पुत्रों के सम्बन्ध में है। प्रकरण इस न्यायालय द्वारा इस न्यायालय की अपील सं. 292/09 व 303/09 जोकि दिनांक 15.01.2014 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 23.10.03 व 25.04.07 निरस्त कर पत्रावली पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने तथा पात्रता की जांच की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई थी।

(2) विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत Notification No. F.4(15)Col/92 jaipur dated 01-09-1995 G.S.R. 62 के बिन्दु सं. 3 Amendment of Rule 4 में अंकित है कि

In the exisiting sub rule (4) of the said rules expression "Adult son" wherever occurring shall be substituted by the expression " Adult son/ Adult daughter".

उक्त नोटिफिकेशन्स में स्पष्ट है कि बालिग पुत्रों में बालिग पुत्री भी शामिल है। क्योंकि प्रकरण बालिग पुत्रों को आवंटन से सम्बन्ध में तो अपीलांट की माता का भी उस जमीन में हक व हिस्सा बनता है और अपीलांट का यह तर्क की अपीलांट के अलावा उसके और 4 भाई हैं तथा उसका माँ के हिस्सा की 1/6 भूमि में से 1/5 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में पूर्व में ही दिनांक 15.01.2014 को अधी. न्यायालय को समुचित आदेश पारित किया जा कर पत्रावली पक्षकारों को सुनवाई पश्चात विधिवत रूप से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जा चुका है।

(4)उक्त निर्देशों की पालना में अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2015 को निर्णय करते हुए निकूराम व तेजाराम के वारिसों प्रार्थीगण 2/1 ता 2/8 तथा मंशाराम को पिता के बालिग पुत्र मानते हुए क्रमशः 1/3, 1/3 तथा 1/3 हिस्सा बराबर का अधिकारी घोषित करते हुए पुख्ता आवंटन की सिफारिश कर दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गई।

(5)उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा. पत्र एवं अपील लगभाग 4 वर्ष पश्चात अपील यह कहते हुए पेश की है कि मामलें में वह अपनी मृतक माता के पुत्र की हैसियत से जोकि रेस्पों. की बहिन है, का भी पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा है तथा बालिग पुत्रों की गणना में पुत्रों की हैसियत से शुमार है।

(6) हम अपीलांट के इस तर्क से तो सहमत है कि उसका मामलें में उसकी माता का हिस्सा होने से अधिकार है तथा 4 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तर्क दिया कि अधी. न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्देशों दिनांक 15.01.2014 के निर्णय की विधितः पालना नहीं की। फलस्वरूप निर्णय दूषित होने से, सूचना नहीं होने तथा सही वारिसों की जांच नहीं करने के कारण मियाद माफी की जावे।

(7) हमने पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थी के तर्कों का मनन किया एवं प्रा.पत्र 96 सीपीसी व मियाद के प्रा.पत्र को स्वीकार करना उचित पाते हैं। किन्तु साथ ही इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2014 व अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2015 का भी अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही अपील में समुचित रूप से निर्णय किया जा कर वांछित दिशानिर्देश दिये जा चुके हैं तथा अधी. न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह बालिग पुत्रों को पिता के नाम दर्ज अधिशेष भूमि के नियमानुसार आवंटन करने के सम्बन्ध में पूर्ण, समुचित व गहन जांच करता व तत्पश्चात सन्तुष्टिपरक निर्णय हेतु अग्रसर होता।

(8) प्रस्तुत मामले में अधी. न्यायालय द्वारा उक्त जिम्मेवारी का वहन नहीं किया प्रतीत होता है क्योंकि अधी. न्यायालय द्वारा पूर्व में भी बालिग पुत्रों जिसमें विधित पुत्रियां भी शामिल है की गणना नहीं की गई। इसी कारण उनके निर्णयों दिनांक 23.10.2003 व 25.04.2007 की अपीलें कमशः 292/09, 303/09 नम्बरों से इस न्यायालय में की गई जिसका निर्णय दिनांक 15.01.2014 को किया जा चुका है।

(9) इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय के निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के निर्देशों की अक्षरशः विहित रूप से पालना नहीं करने से वादकरण समाप्त नहीं होता व अनावश्यक रूप से अंतहीन दावे व अपील का सिलसिला चलता रहता है व न्यायालयों व सरकारी मशीनरी का श्रम व समय बर्बाद होता है व पक्षकारों में frustration बना रहता है।

(10) उक्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर इस स्तर पर अपील को स्वीकार कर मामलें में स्थगनादेश जारी करने की बजाए अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 15.01.2014 के प्रकरण में ही अधी. न्यायालय को पुनः इस आशय के निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलांट के पक्ष को सुने एवं मामलें की जांच कर के वारिसों का सजरा बना कर बिन्दु संख्या (2) में अंकित प्रावधानों के अनुसार हकदार वारिसों की गणना कर विधिवत निर्णय पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पारित करें। क्योंकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना विधितः नहीं हुई प्रतीत होती है।

(1) अतः अपील एडमिशन के स्तर पर ही स्वीकार करने से इंकार करते हुए यह निर्देश अपीलांट को देना श्रेयस्कर समझते हैं कि वे 15 दिवस के भीतर अधी. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें तथा अधी. न्यायालय पूर्व में अपील में दिये गये निर्देशों दिनांक 15.01.14 के अनुसार समस्त पक्षकारों को सुनकर व अपनी जांच से बाद सन्तुष्टि समुचित रूप से विधिवत निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।